मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन

भोपाल, दिनांक 03 मार्च 2007

<u>आदेश</u>

एफ 5/11/06/10-3:: राज्य शासन एतद् द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत अनुमति प्राप्त करने के लिए वन विभाग में प्राप्त प्रस्तावों की स्वीकृति में प्रगति की समीक्षा करने के लिए निम्नानुसार समिति का गठन संभाग स्तर पर करता है:-

(1)	संभाग आयुक्त	-	अध्यक्ष
(2)	संभाग के अंतर्गत समस्त क्षेत्रीय वन संरक्षक	-	सदस्य
(3)	संभाग के अंतर्गत समस्त क्षेत्रीय वन मण्डलाधिकारी	-	सदस्य

2. संभाग आयुक्त के मुख्यालय में मुख्यालय रखने वाले क्षेत्रीय वन संरक्षक समिति के संयोजक होंगे।
3. समिति अपनी बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी आवश्यकता अनुसार आमंत्रित करेंगी।
4. समिति के निम्न कर्तव्य होंगे:-

(क) वन विभाग में वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त समस्त आवेदनों की समीक्षा करना तथा यदि किसी विभाग से जानकारी अपेक्षित हो तो उनकी जानकारी प्रदाय करने के लिए आवश्यक निर्देश देना।

(ख) वन मण्डल स्तर पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा।

5. समिति की बैठक माह में एक बार होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
तथा आदेशानुसार
(रतन पुरवार)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ.क्र.एफ 5/11/06/10-3 भोपाल, दिनांक: 03 मार्च 2007

प्रतिलिपि-

1. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन
3. समस्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्यप्रदेश